

मध्यप्रदेश शासन

गृह विभाग

मंत्रालय

वरुलभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 21-50/2006/दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 27 फरवरी, 2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश

विषय— मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज के वाहनों के आवंटन के सबंध में नीति।

गृह विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 21-50/2006/दो-ए(3) दिनांक 29.07.2006/02.08.2006 द्वारा जारी वाहन नीति को अधिक्रमित करते हुए मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज के वाहनों के आवंटन के संबंध में शासन द्वारा विचारोपरांत निम्नलिखित नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, इनका प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से किया जाए। इस आदेश के विपरीत कार्यवाही/व्यवस्था के प्रकरणों में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे और उनसे व्यय की राशि की वसूली की जाएगी:-

- (1) मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज द्वारा माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण केबिनेट स्तर/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्यमंत्री/उपमंत्री को ही वाहन पात्रतानुसार आवंटित किए जा सकेंगे।
- (2) मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज द्वारा मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग एवं मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारियों को ही वाहन आवंटन किया जाएगा।
- (3) मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज में वाहनों की उपलब्धता की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, वित्त विभाग एवं मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ अपर/उप सचिव स्तर के अधिकारियों को वाहन आवंटित किए जा सकेंगे।
- (4) सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय में पदस्थ उप सचिव एवं उनसे नीचे के स्तर के अधिकारियों के उपयोग के लिए विभाग के नियंत्रण में अधिकतम 02 पूरा वाहन आवंटित किए जा सकेंगे, जिनका उपयोग विभाग के अधिकारियों द्वारा विभाग के प्रमुख सचिव के आदेशानुसार किया जाएगा।

// 2 //

- (5) उक्त विभागों को छोड़कर यदि अन्य किसी ऐसे विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव के द्वारा वाहन की मांग की जाती है, जिसके अधीन कोई विभागाध्यक्ष कार्यालय नहीं है तो ऐसे अधिकारी को भी स्टेट गैरेज में वाहन उपलब्ध होने पर ही आवंटित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज से वाहन आवंटित कराने के पूर्व संबंधित अधिकारी को इस आशय का घोषणा-पत्र संलग्न पत्र में स्टेट गैरेज को देना होगा कि उनके द्वारा किसी अन्य विभागीय वाहन का उपयोग नहीं किया जा रहा है।
- (6) यह भी निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में स्टेट गैरेज से आवंटित वाहन, इस नीति के लागू होने के पश्चात् विभागाध्यक्ष द्वारा वाहन व्यवस्था किए जाने तक संबंधित अधिकारियों के पास रहेंगे तथा विभागाध्यक्ष के द्वारा वाहन उपलब्ध कराते ही वे स्टेट गैरेज का वाहन वापस कर देंगे।

2/ उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

संलग्न:- यथोपरि

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सीमा शर्मा)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग